पत्र संख्या :- 5/मं०स०ज०शि० (बैठक) 04/2010 (खण्ड) ....658....

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

प्रेषक,

विजय कुमार वर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव,
बिहार, पटना।

पटना-15, दिनांक ...11.10.2012

विषय :- मुख्य सचिव की अध्यक्षता में माह अक्टूबर, 2012 से होने वाली अवमाननावाद एवं सी०डब्लू०जे०सी० से संबंधित समीक्षात्मक बैठक के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि पूर्व में विभागीय पत्रांक-211, दिनांक 16 मार्च, 2012 द्वारा अवमाननावाद के लम्बित मामले की समीक्षात्मक बैठक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय शुक्रवार को 04:00 बजे मुख्य सचिव के कार्यालय कक्ष में आयोजित होने एवं इसके लिए सभी विभागों को दो समूह में बांटे जाने की सूचना संसूचित किया गया था।

2. उक्त आदेश को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि अवमाननावाद एवं सी०डब्लू०जे०सी० की संख्या बल के आधार पर दोनो समूहों का पुर्ननिर्धारण किया जाय ताकि दोनो समूहों के प्रत्येक विभाग के लंबित वादों की सम्यक समीक्षा हो सके। उक्त निर्णय के आलोक में पुर्ननिर्धारित विभागों के दोनो समूहों की सूची पत्र के साथ संलग्न है।

3. समय-समय पर विषयांकित समीक्षात्मक बैठक के संबंध में संसूचित अन्य शर्त्ते यथावत् रहेंगी।

अनु० :- यथोक्त।

विश्वासभाजन

10.10.2012

(विजय कुमार वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

समूह - 01		समूह - 02	
क्र.	विभाग का नाम	क्र.	विभाग का नाम
1	शिक्षा विभाग	1	नगर विकास एवं आवास विभाग
2	गृह विभाग	2	स्वास्थ्य विभाग
3	कृषि विभाग	3	सामान्य प्रशासन विभाग
4	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	4	ऊर्जा विभाग
5	पंचायती राज विभाग	5	जल संसाधन विभाग
6	वित्त विभाग	6	सहकारिता विभाग
7	पथ निर्माण विभाग	7	उद्योग विभाग
8	ग्रामीण विकास विभाग	8	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
9	श्रम संसाधन विभाग	9	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
10	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	10	विधि विभाग
11	परिवहन विभाग	11	भवन निर्माण विभाग
12	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	12	लघु जल संसाधन विभाग
13	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	13	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग
14	गन्ना उद्योग विभाग	14	ग्रामीण कार्य विभाग
15	पर्यावरण एवं वन विभाग	15	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
16	योजना एवं विकास विभाग	16	वाणिज्य कर विभाग
17	निर्वाचन विभाग	17	आपदा प्रबंधन विभाग
18	पर्यटन विभाग	18	सूचना एवं जन संपर्क विभाग
19	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	19	खान एवं भूतत्व विभाग
20	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	20	निगरानी विभाग
21	समाज कल्याण विभाग	21	सूचना प्रावैधिकी विभाग
22	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	22	संसदीय कार्य विभाग